न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

ऑगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 10/2009

रानी कुमारी वनाम राज्य

आदेश

08.11.2014

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण यह आदेश विलम्ब से पारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील अपीलार्थी रानी कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक– 21 दिनांक– 19.02.2009 द्वारा मुरलीबसंतपुर पंचायत अन्तर्गत राम टोला आंगनवाड़ी केन्द्र पर सहायिका के रूप में कार्यरत पद से हटाये जाने के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

जिला प्रोग्रारम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा सहायिका पद से अपीलार्थी को हटाये जाने संबंधी पारित आदेश विरूद्ध अपीलार्थी ने मान्नीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० 6105/2009 दाखिल किया था, जिस पर दिनांक– 14.05.2009 को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेशित किया गया है कि:–

अपीलार्थी के दिनांक– 02.03.2009 को समाहर्त्ता को सम्बोधित अभ्यावेदन का निस्तार संबंधित पक्षकारों को सुनकर मुखर आदेश से चार माह के अन्दर किया जाय। चूँकि आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के सेवा समाप्ति का अधिकार मात्र समाहर्त्ता को है। अग्रतर मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निदेशित किया गया है कि अगर दिनांक– 14.05.2009 तक अपीलार्थी को हटाये जाने के कारण रिक्त हुए सहायिका के पद पर नियुक्ति नहीं की गयी हो तो अभ्यावेदन के निस्तार तक उक्त पद को नहीं भरा जाय।

अपीलार्थी रानी कुमारी द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय के दिनांक– 14.05.2009 को पारित आदेश की प्रति के साथ दिनांक 06.08.2009 को जिला पदाधिकारी को अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसे अपील मानकर कार्रवाई करने का तत्कालीन जिलाधिकारी का आदेश है।

अपीलार्थी रानी कुमारी का कहना है कि आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 132 राम टोला ग्राम पंचायत– मुरलीबसंतपुर, प्रखण्ड– कहरा के लिए नियोजन हेतु निकाले गये विज्ञान के विरूद्ध सहायिका पद के लिए तैयार की गयी चार अभ्यर्थियों की मेधा सूची में अपीलार्थी जो

चयन हेतु सभी अर्हता पूरी करते थे का चयन आम सभा द्वारा दिनांक– 25.07.2007 को किया गया। अपीलार्थी ने अन्य तीन अभ्यर्थी के बारे में कहा है कि एक अभ्यर्थी नीलम देवी तत्कालीन मुखिया ललिता देवी की जेठानी, गीता देवी तत्कालीन मुखिया ललिता देवी की निकट संबंधी होने तथा आम सभा के दिन अनुपस्थित रहने के कारण आम सभा में अयोग्य करार दी गयी, जबकि चंचला कुमारी को गॉव की पुत्री होने तथा सामान्य वर्ग से आने के कारण अयोग्य करार दी गयी। चयनित होने पर अपीलार्थी को चयन पत्र निर्गत किया गया तथा 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपीलार्थी कार्यरत हो गयी। यह भी कहा गया है कि मुखिया ललिता देवी द्वारा 50,000.00 रिश्वत की मांग चयन के दिन से ही की जाने लगी, जो नहीं दिये जाने के कारण कार्यवाही के अन्त में उन्होंने अपना हस्ताक्षर नहीं किया। मुखिया ललिता देवी द्वारा चयन के विरूद्ध दिलाये गये आवेदन पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा एवं जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा अलग–अलग जॉच करायी गयी, जिसमें सेविका के चयन में अनियमितता पायी गयी, जिसके आधार पर सेविका के साथ–साथ अपीलार्थी को भी चयनमुक्त कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। अग्रतर यह भी कहा गया है कि चयनमुक्ति के विरूद्ध जिला पदाधिकारी को दिये गये आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में अपीलार्थी को मान्नीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। अग्रतर यह भी कहा गया है कि प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, सहरसा के पत्रांक 1034–2 दिनांक– 07.12.2009 से वाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा से तथ्य विवरणी की मांग की गयी थी। वाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा के पत्रांक– 253 दिनांक– 19.12.2009 द्वारा समर्पित तथ्य विवरणी में अपीलार्थी द्वारा मार्गदर्शिका में निहित सभी शर्त्तो को पूरा करने का उल्लेख है। अन्ततः अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक– 21 दिनांक– 19.02.2009 के अवलोकन करने की प्रार्थना की है, जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ न तो कोई आवेदन है और न ही जॉच टीम द्वारा कोई अनियमितता पाये जाने का उल्लेख है। इस स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा चयनमुक्त करना सर्वथा अवैधानिक है, जिसे निरस्त करने की याचना की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी वकील को सुना। रेणु कुमारी एवं नीलम देवी की अनुपस्थिति के कारण वाद में कार्यवाही लम्बित चला आ रहा था। निबंधित डाक से नोटिस करने के बावजूद ये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस कारण इन्हें सुना नहीं जा सका।

अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया।

सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए उक्त केन्द्र पर नये सिरे से सहायिका का चयन विहित प्रक्रिया अपनाकर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर करने का आदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा को दिया जाता है। इस चयन प्रक्रिया में प्रखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस निदेश के साथ वाद निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

08.11.14
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 2093-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक–13 नवम्बर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

13/11/14
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

13.11.14

13/11/14
9

(60)